सचिका स0—07 / बजट—46—13 / 2022 — 162(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक— 19/05/2026

विषय:— **पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (PMCH), पटना के परिसर में (132/33 के०वी०) Green GIS ग्रिड उपकेन्द्र के अधिष्ठापन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024—25 में कुल रु० 3,25,16,63,000/— (रूपये तीन अरब पच्चीस करोड़ सोलह लाख तिरसठ हजार) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू० 25,00,00,000/—(रूपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना के रूप मे राज्य सरकार [illegible] पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को फेजवार (तीन चरणों में) 250 [illegible]बी०एस0 नामाकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप मे [illegible]त कर देश के सबसे बडे चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप मे विकसित किये [illegible] का कार्य किया जा रहा है।

2— भवन निर्माण कार्य के अतिरिक्त भविष्य की जरूरत को ध्यान मे रखते हुए ऊर्जा विभाग, [illegible] सरकार के द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना के स्थल निरीक्षण एव [illegible]ता अध्ययन के उपरांत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना द्वारा परिसर मे (1[illegible]33 के०वी०) Green GIS ग्रिड उपकेन्द्र के अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 2,55,89,71,000/—(रुपये दो अरब पचपन करोड नवासी लाख एकहत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन [illegible]सनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं0—336(7) दिनांक—23.12.2022 के द्वारा दी गई थी।

3— पुन: कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा सचरण लाइन के सर्वेक्षणोपरात पुनरीक्षित प्राक्कलन की [illegible]1.95 करोड रुपये आकलित की गयी, जिसमे इनके द्वारा Contingency @1% अधिभारित [illegible]के उपरात रू0 3,25,16,63,000/— (रूपये तीन अरब पच्चीस करोड सोलह लाख तिरसठ हजार) मात्र की राशि का पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध करायी गयी।

तद्क्रम में पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (PMCH), पटना के परिसर मे (132/33 के०वी०) Green GIS ग्रिड उपकेन्द्र के अधिष्ठापन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क[illegible] लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 3,25,16,63,000/— (रूपये तीन अरब पच्चीस करोड सोलह लाख तिरसठ हजार) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुन[illegible]त प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश स०—237(7), दिनाक—28.10.2024 द्वारा दी गई उक्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू० 15.00 करोड की राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश स०—382(7),दिनांक—23.01.2025 द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को आवंटित की जा चुकी है।

4— उक्त परिप्रेक्ष्य मे पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल (PMCH), पटना के परिसर में (132/33 के०वी०) Green GIS ग्रिड उपकेन्द्र के अधिष्ठापन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024—25 मे कुल रू० 3,25,16,63,000/— (रूपये तीन अरब पच्चीस करोड सोलह लाख तिरसठ हजार) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष मे रू० 25,00,00,000/—(रूपये पच्चीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5— उक्त कार्य बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0—336(7), दिनांक—23 12 2022 एवं राज्यादेश स0—237(7), दिनाक—28 10 2024 मे निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

6— इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय. उपमुख्य शीर्ष—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष— 110—अस्पताल तथा औषधालय, उप—शीर्ष—0111—मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड— 20—4210011100111 अतर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0111 53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

7— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17 04.98, 2880/वि0(2), दिनांक—06.05.06 एव 2938/वि0(2), दिनांक—08 04 08, 2199/वि0, दिनांक—24 03 2017, 3758/वि0, दिनांक—31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक—03 12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8— इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को खाता अंतरण के माध्यम से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना के पी0एल0 एकाउन्ट स0—PTSPLA014 विपत्र कोड———————के अन्तर्गत ledger ID-20128 मे उपलब्ध करायेगे। कार्यान्वियन एजेन्सी राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

10— बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना के पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

11— प्रस्ताव एव प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—07/बजट—46—13/2022 के पृष्ठ—..42../टि0 मे प्राप्त है।

13— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

14— संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15— यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18.5.25

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –07 / बजट–46–13 / 2022 – 162 (7A) / स्वा0, पटना, दिनाक– 19 / 05 / 2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा),वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना /योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / प्रबध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना / सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना / अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य (स्वास्थ्य) के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / लेखा शाखा (दो प्रतियों मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई–मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

18.5.26

सरकार के अपर सचिव